

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

मुकाम खाजूवाला

रेवन्ताराम बनाम

इन्द्राज वगै.

किस्म मुकदमा :- दावा अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188 आर.टी. एक्ट
सन 19/19 व 2019/00019

मु.नं. एवं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
19.12.19	पत्रावली वादी के प्रार्थना पत्र पर पे 11 में ली गई। वादी के अधिवक्ता ने प्रा.पत्र पे 1 कर जाहिर किया कि लोक अदालत की भावना से हम फरिकेन के मध्य राजीनाम हो चुका है। प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहता है एव वाद विद्वा करना चाहता है। सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का प्रा.पत्र स्वीकार कर विद्वा की अनुमति दी जाती है। दावा विद्वा में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।	